राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमाकः आईडीएसपी/2019/1992 दिनांकः 16/07/19

समस्त, सयुक्त निदेशक जोन,
राजस्थान।

विषय :– मौसमी बीमारियों की समीक्षा हेतु प्रस्तावित 23 जुलाई 2019 को आयोजित विड़ियो कोन्फ्रेन्सिंग के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बीमारियों की समीक्षा हेतु दिनांक 23 जुलाई 2019 को श्रीमान निदेशक (जन स्वा.) महोदय की अध्यक्षता में विड़ियो कोन्फ्रेन्सिंग आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः विड़ियो कोन्फ्रेन्सिंग दिनांक से पूर्व निम्नलिखित सूचनाऐं संकलित करते हुए निदेशालय की ई मेल आई rajasthan_idsp@yahoo.co.in and nvbdcprajsthan@gmail.com पर दिनांक 17.07.18 तक भिजवाने का श्रम करावें।

1. वेन्टीलेटर का प्रशिक्षणः– जिलेवार, संस्थावार, चिकित्सा अधिकारियों व कार्मिको की सूची व दिनांक सहित सूचना।
2. पल्स ऑक्सीमीटर एवं क्लोरोस्कॉप की उपलब्धताः– जिलेवार, संस्थावार व उपलब्ध नहीं होने का कारण भी उपलब्ध करावें।
3. ऑस्लटामीवीर की मांग पत्र जिलेवार (पीएमओ की सम्मिलित करते हुए)।
4. डीडीटी स्प्रे प्रथम चरण पूर्ण होने की जिला, ब्लॉक, ग्रामवार व दिनांक सहित।
5. हाई रिस्क क्षेत्र जिलेवार, ब्लॉकवार सूची तथा हाई रिस्क क्षेत्र में किये गये कार्यो का विवरण।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी स्तर पर हाई रिस्क ग्रुप को स्वाईन फ्लू व अन्य मौसमी बीमारियों से संवेदनशील करने हेतु किये गये कार्यो का जिलेवार विवरण।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी स्तर पर चिकित्सकों को हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों को स्वाईन फ्लू व अन्य मौसमी बीमारियों से उपचार से संबंधित संवेदनशील करने हेतु किये गये कार्यो का जिलेवार विवरण।
8. जिलों में फोंगिग गतिविधियों का विवरण जिला, ब्लॉक, वार्ड, दिनांक व स्थान अनुसार।
9. जिलों में फोंगिंग मशीन की क्रियाशीलता की वर्तमान स्थिति।
10. जिलों में हेचरित की क्रियाशीलता की वर्तमान स्थिति।
11. जिलों में हाउस टू हाउस सर्वे की माहवार संकलित प्रपत्र 7 में सूचना। यह सूचना 01 अप्रेल से 30 अप्रेल तक, 01 मई से 31 मई तथा 01 जून से 30 जून तक माहवार संकलित कर भेजे तत्पश्चात् 01 जुलाई से दिनांकवार भेजे।
12. दिनांक 30.05.19 माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निर्देशों की अब तक किये गये पालना की सूचना।
13. जिलो में मौसमी बीमारियों से संबंधित आईईसी गतिविधियों की सूचना।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

14. क्लोरोक्वीन, ऐसीटी किट, प्राईमाक्वीन, टेमीफ्लू, क्लोरीन टेबलेट व अन्य की जिले में संस्थानवार उपलब्धता की सूचना।
15. सम्भाग स्तर आपके द्वारा मौसमी बीमारियों के संबंध में वी.सी. आयोजित किये गये की दिनांक।
16. अब तक कितने स्कुलों में मौसमी बीमारियों के सन्दर्भ में अध्यापक व छात्रों को जागरूक किया गया जिलेवार सूचना।
17. जिलों में चिन्हित किये गये वाटर बॉडिस जिन्हें उपचारित किया जाना है, जिलेवार व ग्रामवार सूचना।
18. जिलों में उपलब्ध टेमीफोस (50 % EC), बीटीआई (WP), साईफेनोथ्रीन (5% EC), पायरेथ्रम (2% Extract), टेमीफोस (Granules), जिलेवार सूचना।
19. आयुष विभाग के माध्यम से बुखार स्लाईड बनाने के संबंध में की गई कार्यवाही।
20. मौसमी बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु कार्य योजना का निर्माण कितने संस्थानों पर बनाया जा चुका है, जिलेवार तथा नही बनाने का कारणों का उल्लेख।
21. अन्तर विभागीय समन्वय की जिलेवार प्रगति की सूचना।
22. निजी चिकित्सक/चिकित्सालयों को मौसमी बीमारियों के सन्दर्भ मे आमुखीकरण कार्य की प्रगति जिलेवार।
23. माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.19 को मौसमी बीमारियों की समीक्षात्मक बैठक में की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट।

संलग्न :– बैठक कार्यवाही विवरण।

अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज.,जयपुर।

क्रमांकः आईडीएसपी/2019/1992 दिनांकः 10/07/19

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर वास्ते ईमेल व वेबवाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
4. कार्यालय प्रति।

अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज.,जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमाक–आईडीएसपी/2019/1958 दिनांक– 26/06/19

बैठक कार्यवाही विवरण

मौसमी बीमारियो की रोकथाम एवं नियत्रण हेतु माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 30.05.19 को समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे चिकित्सा विभाग के साथ–साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, होम्योपैथी विभाग, यूनानी विभाग, ईएसआई विभाग, पशुपालन विभाग, नगर–निगम, जिला कलक्टर, जयपुर, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज व सलग्न चिकित्सालय के अधीक्षक/प्रतिनिधि, संयुक्त निदेशक, जोन–जयपुर व मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम व द्वितीय के अधिकारी उपस्थित रहें।

उक्त बैठक में निम्नलिखित बिन्दूओं पर चर्चा की गई:–

क. सं.	विषय	विवरण	विभाग
1	आयुष व ईएसआई विभाग की सहभागिता	• सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.19 को मौसमी बीमारियो की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम मे अनुपालना की जानकारी चाही गई। • अति निदेशक (ग्रा0स्वा0) ने अवगत कराया कि गत बैठक में चिकित्सा विभाग के साथ–साथ आयुर्वेद/होम्योपेथिक/यूनानी/ईएसआई विभाग भी मौसमी बीमारियो के रोकथाम व नियंत्रण मे आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा बुखार के रोगियों की रक्त पट्टिका बनाने का निर्णय लिया गया था जो आज दिनांक तक सबधित विभागों से अपेक्षित है। माननीय मत्री महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि आयुर्वेद/होम्योपेथिक/यूनानी/ईएसआई विभाग अपने संस्थान में आने वाले सभी बुखार के रोगियों की रक्त पट्टिका बनाना सुनिश्चित करें। इस हेतु विभाग (आयुर्वेद/होम्योपेथिक/यूनानी/ईएसआई विभाग) के चिकित्सक अपने निकटतम पीएचसी/सीएचसी, उप जिला/जिला अस्पताल के प्रभारियो से संपर्क करते हुये रक्त पट्टिका, निडल व अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करेंगे तथा सबधित चिकित्सा प्रभारी इन विभागो के अधिकारियों/कर्मचारियो को रक्त पट्टिका बनाने बाबत् प्रशिक्षण प्रदान करेगे। आयुष विभाग रक्त पट्टिका बनाने पर आशा/एएनएम के माध्यम से अथवा सीधे ही निकटतम चिकित्सा संस्थान पर भिजवायेगे। • मिशन निदेशक (एनएचएम) ने अवगत कराया कि वर्तमान में चिकित्सा विभाग मे चिकित्सको की कमी को देखते हुये आयुष विभाग (आयुर्वेद/होम्योपेथिक/यूनानी विभाग) के चिकित्सको को बेसीक केयर, इमरजेंसी केयर एवं डिलीवरी से सबधित आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना उचित होगा ताकि आयुष विभाग के चिकित्सको के माध्यम से आमजन को बेसीक केयर, इमरजेसी केयर एव डिलीवरी से सबधित उपचार प्राप्त हो सकेंगे। इस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आयुष विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो को बेसीक केयर, इमरजेंसी केयर एवं डिलीवरी से सबधित एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों से सबधित आवश्यक प्रशिक्षण/दवाईयॉ उपलब्ध कराते हुये आवश्यक सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जावें। इस हेतु आयुष विभाग	शासन सचिव (आयुष विभाग), मिशन निदेशक, एनएचएम, निदेशक (जनस्वस्थ्य), निदेशक (आयुर्वेद/होम्योपेथिक/यूनानी/ईएसआई विभाग)

		के प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा संबंधित को आवश्यक निर्देश प्रदान करे एवं मिशन निदेशक एव निदेशक जनस्वास्थ्य संयुक्त रूप से बेसीक केयर, इमरजेंसी केयर एवं डिलीवरी से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रशिक्षण व अन्य कार्य हेतु कार्ययोजना का निर्माण कर आयुष विभाग के अधिकारियो को प्रशिक्षित करावें। • अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने निर्देशित किया कि आयुष विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को मौसमी बीमारियों से संबंधित कार्यो की मॉनिटरिंग व सुपरविजन मे भी सहयोग लिया जाना उचित होगा।	
2	स्वाईन फ्लू वैक्सीन	• माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वाईन फ्लू रोग के उपचार/जाच से संबंधित चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी व अन्य स्टॉफ को स्वाईन फ्लू रोग से बचाव हेतु एमआरएस के माध्यम से वैक्सीन तुरन्त प्रभाव से लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।	समस्त अधीक्षक, सीएमएचओ, पीएमओ,
3	वैंटिलेटर का प्रशिक्षण	• गत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार चिकित्सकों को वैंटिलेटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने के निर्देशों की अनुपालना की जानकारी चाही गई थी जिस पर अवगत कराया कि उक्त निर्देशों की पालना नहीं हो पाई है। इस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि समस्त संयुक्त निदेशक जोन अपने-अपने क्षेत्रो में मेडिकल कॉलेज से समन्वय स्थापित करते हुये आगामी एक माह में वैंटिलेटर का प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।	समस्त संयुक्त निदेशक जोन एव संबंधित समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज
4	पल्स ओक्सीमीटर	• प्रधानाचार्य, एसएमएस ने अवगत कराया कि स्वाईन फ्लू के संभावित रोगियो की स्क्रीनिंग कार्य हेतु पल्स ऑक्सीमीटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो सभी चिकित्सा संस्थानो पर होना आवश्यक है। इस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चिकित्सा संस्थानों पर अविलम्ब पल्स ओक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये उनका उपयोग करना प्रारम्भ करे।	समस्त संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ, पीएमओ एवं चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा प्रभारी
5	हाई रिस्क ग्रुप को संवेदनशील करना	• अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वाईन फ्लू रोग से बचाव हेतु हाई रिस्क ग्रुप विशेषतौर पर गर्भवती महिलायें, अस्थमा, किडनी, लीवर, कैंसर, टीबी, बुजुर्ग व बच्चो को चिकित्सा संस्थान पर आने हेतु नियमित रूप से संवेदनशील किया जाये। • अतिरिक्त निदेशक ने अवगत कराया कि स्वाईनफ्लू रोग से हुई मृत्यु मे 70 प्रतिशत रोगी हाई रिस्क ग्रुप की श्रेणी के थे एव हाई रिस्क ग्रुप विशेष तौर पर हृदय, डायबटीज, कैंसर, सीओपीडी, के रोगी थे जो कि एनसीडी कार्यक्रम से संबंधित थे। अत. यह उचित होगा कि राज्य नोडल अधिकारी (एनसीडी) मौसमी बीमारियों के संबंध मे अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) के निर्देशानुसार कार्य करेगे ताकि ग्रा0स्वा0 व एनसीडी कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों में समन्वय स्थापित होते हुये हाई रिस्क ग्रुप के रोगियों को बेहतर रूप से संवेदनशील किया जा सकें। • गर्भवती महिलाओ व शिशुओं को संवेदनशील करने हेतु परियोजना निदेशक, मातृ एवं शिशु अपने स्तर से संवेदनशील करायें। • अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्था प्रभारी विशेषतौर पर जिला अस्पताल यह सुनिश्चित करे कि चिकित्सा संस्थानो पर आने वाले रोगी (विशेष तौर	परियोजना निदेशक (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) विभाग राज्य नोडल अधिकारी (एनसीडी)

C:\Users\IDSP\Desktop\30 06 19 docx

		पर हाई रिस्क ग्रुप वाले रोगी) व उनके परिजनो को मौसमी बीमारियो के बचाव व उपचार से नियमित रूप से जागरूक करते रहे।	
6	जांच की उपलब्धता	• माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वाईन फ्लू रोग हेतु चिकित्सा संस्थानों पर जाच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समिति गठित करते हुये स्वाईन फ्लू जांच की संभावनाओ पर विचार किया जाये। • अतिरिक्त निदेशक ने अवगत कराया कि स्वाईन फ्लू की जाच भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार केवल श्रेणी 'सी' के रोगियो की ही स्वाईन फ्लू जाच की आवश्यकता है। वर्तमान मे ओपीडी में आ रहे रोगियो की भी स्वाईन फ्लू जाच की जा रही है जबकि उन्हे टेमीफ्लू व होम आईसोलेशन की ही आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि भारत सरकार की दिशा–निर्देशानुसार ही जाचं कार्य किया जाना सुनिश्चित करे। • अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के द्वारा निर्देशित किया कि भारत सरकार एव महराष्ट्र मॉडल अनुसार स्वाईन फ्लू रोग के जाच व उपचार करना सुनिश्चित करे तथा भारत सरकार एवं महराष्ट्र मॉडल की दिशा–निर्देश समस्त मेडिकल कॉलेज व जिलों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।	शासन सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग), निदेशक (जनस्वास्थ्य), प्रधानाचार्य एव नियत्रक तथा अधीक्षक समस्त मेडिकल कॉलेज, समस्त पीएमओ
7	मौसमी बीमारियो से हुई मृत्युओ के कारणो का विश्लेषण	• माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मौसमी बीमारियो से संबधित मृत्युओं के कारणो का विशलेषण करने हेतु निदेशक (जनस्वास्थ्य) की अध्यक्षता मे कमेटी गठित की जावे, जो यह सुनिश्चित करें कि मृत्यु का कारण वास्तव में मौसमी बीमारी रही है या पूर्व की कोई लम्बी बीमारी (हृदय रोग, कैंसर, डायबटीज, अस्थमा, गर्भावस्था व अन्य) है ताकि मौसमी बीमारियों की वस्तुस्थिति का आंकलन किया जाना सभव हो सके।	निदेशक (जनस्वास्थ्य)
8	दवा की उपलब्धता	• माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चिकित्सा संस्थानो पर मौसमी बीमारियो की रोकथाम व उपचार हेतु समस्त प्रकार की दवाईयों यथा–टेमीफ्लू, ओआरएस, आईवीफ्ल्यूड, एजिथ्रोमाईसीन, डोक्सीसाइकलीन, प्राईमाक्वीन, क्लोराक्वीन, एसीटी व अन्य आवश्यक दवाईयो उप स्वास्थ्य केन्द्रो तक उपलब्ध कराई जावे। • प्रबन्ध निदेशक आरएमसीएल ने अवगत कराया कि दवाईयाँ पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है फिर भी यदि किसी जिले से माग पत्र प्राप्त होता है तो मांगानुसार दवाईयाँ उपलब्ध करा दी जायेगी।	समस्त संयुक्त निदेशक जोन, समस्त सीएमएचओ एवं समस्त पीएमओ
9	घर–घर सर्वे कार्य	• अतिरिक्त निदेशक ने अवगत कराया कि मौसमी बीमारियो की रोकथाम व नियत्रण हेतु प्रस्तावित कार्ययोजनानुसार घर–घर सर्वे कार्य किया जाना है। इस हेतु कार्मिको की विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में अधिक संख्या में आवश्यकता होती है तथा शहरी क्षेत्र में सर्वे कार्य हेतु कार्मिक(एएनएम) पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहीं हो पाते है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मौसमी बीमारियों के संबध मे घर–घर सर्वे कार्य/एन्टीलार्वल गतिविधियॉ हेतु आवश्यकतानुसार ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित एएनएम को इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार सीएमएचओ द्वारा एन्टीलार्वल गतिविधियां/सर्वे कार्य हेतु लगाया जा सकता है। यदि फिर भी कार्मिको का अभाव रहता है तो सयुक्त निदेशक जोन अपने स्तर से प्रभावित जिले मे सर्वे कार्य हेतु समीपस्थ	मिशन निदेशक, एनएचएम, निदेशक (जनस्वास्थ्य), समस्त संयुक्त निदेशक जोन, समस्त सीएमएचओ

		जिला से भी एएनएम को सर्वे कार्य/एन्टीलार्वल गतिविधियो हेतु लगा सकते है। • अतिरिक्त निदेशक ने अवगत कराया कि गत वर्ष जयपुर जिले म जीका रोग से संबंधित गतिविधियॉ सम्पादित करने हेतु आशाओं को अपने कार्य क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में कार्य सम्पादन हेतु लगाया गया था तथा उन्हे इस कार्य हेतु भुगतान किया गया था। यदि आगामी माहों में आशाओ को अन्यत्र स्थानो पर कार्य हेतु लगाया जाता है तो उन्हे अतिरिक्त मानदेय की आवश्यकता होगी। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि आशाओं को अपने कार्य क्षेत्र से अन्यत्र स्थान पर मौसमी बीमारियो से संबधित कार्य हेतु लगाया जाता है तो उन्हे प्रोत्साहन राशि एनएचएम के माध्यम से भुगतान किया जावे। • माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पॉजिटिव केसेज के (स्वाईन फ्लू, डेगू व अन्य) आस पास के 50 घरो की गतिविधियॉ सुनिश्चित की जावे एव सुपरवाईजर व चिकित्सक द्वारा कॉस वेरिफिकेशन किया जावे तथा मौसमी बीमारियो के सबध मे घर-घर सर्वे कार्यो की गुणवता का निदेशालय से लगाये गये जिला प्रभारी अधिकारी 5 प्रतिशत व जिला स्तरीय अधिकारी 10 प्रतिशत कॉस वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार पॉजिटिव केसे की गतिविधियॉ वोटर सूची अनुसार सम्पादित की जायें ताकि कोई भी घर सर्वे कार्य से वंचित न रहें। • सर्वे/एन्टीलार्वल कार्य हेतु एनसीसी स्काउट, नर्सिंग विद्यार्थी, स्वय सेवक व अन्य का सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।	समस्त जिला प्रभारी अधिकारी
10	इन्टर्नस चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज	• माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टर्नस चिकित्सक इन्टर्नशीप के दौरान नियमित रूप से अपनी उपस्थिति सस्थान मे प्रदान नहीं करते है। अत. यह सुनिश्चित किया जायें कि उनके इन्टर्नशीप के दौरान वह अपने आवटित कार्यस्थल (चिकित्सा सस्थान) पर ड्यूटी सम्पादित करें तथा उनकी उपस्थिति बॉयोमेट्रिक मशीन के माध्यम से अनिवार्य की जायें। संबंधित चिकित्सा प्रभारी इन्टर्नस चिकित्सक की उपस्थिति व उनके कार्य की मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। • माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग इन्टर्नस हेतु पृथक से आदेश जारी करें तथा मिशन निदेशक (एनएचएम) व निदेशक (जनस्वास्थ्य) इन्टर्नस के कार्य हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनाकर उनके इन्टर्नस का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।	शासन सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग), मिशन निदेशक, एनएचएम, निदेशक (जनस्वास्थ्य), समस्त सीएमएचओ, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
11	आरआरटी दल का प्रशिक्षण	• माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिले से आरआरटी दल के दो सदस्यों को भारत सरकार से प्रशिक्षित स्टेट टीओटी (ट्रेनर ऑफ ट्रैनी) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाये ताकि प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। यदि किसी जिले में आउटब्रेक होता है तो आरआरटी दल के सदस्यों द्वारा उसकी पहचान कर आवश्यक गतिविधियॉ सम्पादित की जा सके।	निदेशक (जनस्वास्थ्य) एवं आईडीएसपी सैल

12	हेचरीज	• अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मौसमी बीमारियो की रोकथाम व नियत्रण हेतु चिकित्सा सस्थानो पर हैचरी विकसित की जावे तथा समय रहते गप्पी व गम्बूशिया मछलियॉ विकसित करते हुये उनका उपयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जावे। निदेशालय के द्वारा लगाये गये जिला प्रभारी द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान हैचरी का कॉस वेरिफिकेशन किया जायें।	समस्त सयुक्त निदेशक जोन एवं समस्त सीएमएचओ समस्त जिला प्रभारी अधिकारी
13	नगर–निगम/ नगर–पालिका /पचायत विभाग	• माननीय मत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर–निगम/नगर–पालिका/पचायत विभाग अपने क्षत्र मे सफाई व्यवस्था एव पर्यावरण प्रबन्धन करते हुये फोगिंग मशीन व कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये चिकित्सा विभाग से समन्वयक स्थापित कर प्रभावी क्षेत्रो मे फोगिंग कार्य करे। • नगर–निगम/नगर–पालिका अधिकारी डिजिज नोटिफिकेशन एक्ट के तहत यदि किसी संस्थान या घर पर लार्वा पाये जाने पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। • अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कचरा सग्रहण वाहन (हुपर) के द्वारा ऑडियो सदेश प्रसारित करवाकर आमजन को मौसमी बीमारियो से सबधित आवश्यक जानकारी से अवगत कराते हुये जागरूक किया जावे।	नगर–निगम/नगर – पालिका/पंचायत विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
14	आईईसी गतिविधियॉ	• माननीय मत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मौसमी बीमारियो की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु प्रभावी, आकर्षक एवं लुभावनी आईईसी गतिविधियॉ कराई जायें ताकि आमजन शीघ्र ही प्रेरित हो सकें। • मौसमी बीमारियो की रोकथाम व नियंत्रण हेतु कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त चिकित्सा संस्थानों पर एव प्रमुख स्थानों पर आईईसी गतिविधियॉ (बैनर, फलैक्स, हॉर्डिंग, टीवी, माईकिंग, पपलेट के माध्यम से) का तुरन्त प्रभाव से प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करें। • निदेशक (आईईसी) अपने स्तर से आकर्षक व प्रभावी ऑडियों–वीडियों एवं आईईसी सामग्री तैयार कर समस्त चिकित्सा सस्थानो पर उपलब्ध करावें। • अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम व नियत्रंण हेतु एफएम रेडियों के माध्यम से भी आमजन को जागरूक किया जायें।	निदेशक (आईईसी), समस्त सीएमएचओ, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
15	जूनोटिक डिजिज	• निदेशक (जनस्वास्थ्य) ने अवगत कराया कि जूनोटिक डिजिज की रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जूनोटिक डिजिज हेतु विशेष तौर पर स्क्रबटायफस व अन्य बीमारियों के नियत्रण हेतु पशुओं व बाडो मे कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही पशुओ से मानव मे होने वाली उपरोक्त बीमारियों का संक्रमण पशुओं मे पाये जाने पर उसकी सूचना तुरन्त चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करावे।	निदेशक (जनस्वास्थ्य) एवं पशुपालन विभाग
16	सीरो सर्विलेस	• निदेशक जनस्वास्थ्य महोदय ने अवगत कराया कि नई आने वाली बीमारियो की रोकथाम हेतु मेडिकल कॉलेज से समन्वय स्थातिप कर जिलो में सीरो सर्विलेस का कार्य किया जायेगा। • विभागाध्यक्ष (माइक्रोबायॉलोजी), एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने अवगत कराया कि जीका, जापानीज एनसफलाईटिस, सीसीएचएफ एव ब्रुसेलोसिस का सीरो सर्विलेस ट्रांसमिशन	विभागाध्यक्ष (माइक्रोबायॉलोजी), समस्त पीएमओ, नोडल ऑफिसर, आईडीएसपी

		सीजन के अनुसार चयनित जिला में आगामी माह (अगस्त) में प्रारम्भ कर दिया जायेगा। • उक्त सर्विलेन्स का कार्य संबंधित मेडिकल कॉलेज अथवा आईडीएसपी डीपीएचएल लैब में सम्पादित किया जायेगा।	
17	वीडियो कान्फ्रेंस का आयोजन	• निदेशक जनस्वास्थ्य ने निवेदन किया कि मौसमी बीमारियो की रोकथाम व नियंत्रण हेतु माननीय मंत्री महोदय व अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता मे जिला कलक्टर, सीएमएचओ व संबंधित विभाग के जिला अधिकारियो की संयुक्त रूप से वीसी किया जाना आवश्यक है। इस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा वीसी के आयोजन पर सहमति प्रदान की।	निदेशक (जनस्वास्थ्य)
18	लू–तापघात	• माननीय मत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान मे गर्मी के मौसम को देखते हुये सभी चिकित्सा सस्थानो पर लू–तापघात से ग्रसित रोगियों को उपचार करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाये किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही लू–तापघात से बचाने हेतु आमजन को जागरूक किया जायें एव चिकित्सा संस्थानो में कूलर, पखें, शीतलजल की व्यवस्था की जावे ताकि रोगियो व परिजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हों। • अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के द्वारा निर्देशित किया कि लू–तापघात से ग्रसित रोगियो हेतु पृथक से बेड आरक्षित रखे जाये तथा आवश्यक दवाईयॉ यथा ओआरएस, आईवीफ्लूड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	सयुक्त निदशक (आपदा प्रबन्धन), समस्त सयुक्त निदेशक, समस्त सीएमएचओ, समस्त पीएमओ
19	जिला प्रभारियो द्वारा मौसमी बीमारियो की मॉनिटरिंग	• माननीय मत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान मे राष्ट्रीय कार्यक्रमो की मॉनिटरिंग हेतु जिला प्रभारी को नियुक्त किया हुआ है। जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ–साथ मौसमी बीमारियो की समीक्षा करें। साथ ही जिला कलक्टर से सपर्क करते हुये कार्ययोजनानुसार मौसमी बीमारियो की रोकथाम एव नियत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियॉ सम्पादित करावे।	जिला प्रभारी
20	ऑक्सीजन प्लान्ट	• माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में चिकित्सा संस्थानों पर ऑक्सीजन सिलेण्डर सेवा प्रदाता के माध्यम से भरवाया जाता है। इसमें अनावश्यक व्यय होने की संभावना रहती है। अत ऐसी परिस्थितियो मे चिकित्सा संस्थानों पर ऑक्सीजन प्लान्ट लगाने के क्रम मे अधीक्षक, एराएमएस की अध्यक्षता में एक तकनीकी कमेटी गठित करते हुये ऑक्सीजन प्लान्ट की उपयोगिता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करावें ।	चिकित्सा शिक्षा विभाग

अन्त मे सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–आई.डी.एस.पी. / 2019 / 1958 दिनाक– 26/06/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
5. निजी सहायक, मिशन निदेशक (आरएमएसीएल), मुख्यालय।
6. निजी सहायक, निदेशक (आईईसी), मुख्यालय।
7. निदेशक (एड्स / आरसीएच / ईएसआई), मुख्यालय।
8. निदेशक (युनानी / होम्योपैथी / आयुर्वेद), राजस्थान, जयपुर।
9 निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, शहरी विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामिण विकास विभाग, राजस्थान।
12. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान, जयपुर।
13. अधीक्षक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) मुख्यालय।
16 विभागाध्यक्ष, माइक्रोबॉयोलोजी विभाग, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राज0 जयपुर।
17 राज्य नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी / एनवीबीडीसीपी / एनसीडी / वर्टिकल प्रोग्राम), मुख्यालय।
18. संयुक्त निदेशक (आपदा प्रबन्धन), मुख्यालय।
19. राज्य चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
20 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
21. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज0 जयपुर।
22. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
23. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राज0 जयपुर।
24. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल करने बाबत्।
25. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर